संख्या-17/2016/1116/क0नि0प्र0/26-3-2016-14(34)/2014

प्रेषक,

केदारनाथ,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0 लखनऊ।

कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, **लखनऊः दिनांकः 07 अक्टूबर, 2016**
समाज कल्याण विभाग

विषयः- **निःशुल्क बोरिंग योजनान्तर्गत पारदर्शिता लाये जाने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि अनुसूचित जाति सब प्लान के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त विशेष केन्द्रीय सहायता से संचालित की जाने वाली निःशुल्क बोरिंग योजना में पारदर्शिता लाये जाने के संबंध में सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि वित्तीय वर्ष 2015-16 एवं वित्तीय वर्ष 2016-17 तथा आगामी वित्तीय वर्षो में समाज कल्याण विभाग द्वारा करायी गयी/करायी जाने वाली बोरिंग से संबंधी लाभार्थी के सम्पूर्ण विवरण संलग्न प्रारूप पर पूर्ण कराकर समाज कल्याण विभाग की बेवसाइट पर अपलोड कराया जायेगा। यह कार्य निदेशालय समाज कल्याण विभाग के स्तर से संबंधित जनपद के विभागीय अधिकारियों के माध्यम से सम्पादित कराया जायेगा।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण में उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः- यथोक्त।

भवदीय,

(केदारनाथ)
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-17/2016/1116/(1)/क0नि0प्र0/26-3-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

2- समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास), उत्तर प्रदेश।

3- समस्त मण्डलीय उप निदेशक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश।

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(दीनानाथ)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या: 17/2016/1116 /क0नि0प्र0/26-3-2016 दिनांक 07 अक्टूबर,2016 का संलग्नक।

अनुसूचित जाति सब प्लान के अन्तर्गत समाज कल्याण विभाग द्वारा विशेष केन्द्रीय सहायता से संचालित नि:शुल्क बोरिंग योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष . . . . . .में कराई गई बोरिंग से संबंधित विवरण।

जनपद का नाम	विकास खण्ड का नाम	ग्राम का नाम	लाभार्थी का नाम/ तथा	पिता का नाम	उपजाति	लाभार्थी का आधार संख्या	भूमि का गाटा संख्या जिसमें बोरिंग कराई गई	लाभार्थी की बोरिंग हस्तान्तरण के समय की फोटोग्राफ	व्यय धनराशि	बोरिंग कम्प्लीशन के सत्यापन कर्ता का नाम,पद नाम	जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) के डिजीटल हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।